न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामजीलाल बनाम उमाद वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	251 AT — मुन-5/18	
9-3-21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु वकील प्रार्थी आज ही सम्मन तलबाना पेश करें। सम्मन तलबाना पेश होने पर तामील जारी की जाकर पत्रावली दिनांक 8-4-21 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
8-4-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./[illegible] अधिकारी दौरे/[illegible] में व्यस्त है। [illegible] हो [illegible] दिनांक 18.6.21 को पेश हो।	
13-8-21	कोविड महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में समस्त पत्रावलियों में इफजाही तारीख पेशीयाँ देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-9-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
09.09.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूककर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी एंव पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी व प्रार्थी पक्षकार की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी व अदम परवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.13 11:57:04 IST
Reason: SelfAttested